

प्रवेश और फीस नियमन समिति  
उत्तर प्रदेश शासन  
संख्या-381/प्र0फी0नि0स0/2018  
लखनऊ: दिनांक 08 अगस्त, 2018  
- आदेश -

एस0आर0 ग्रुप आफ इन्स्टीट्यूशन्स (कालेज ऑफ फार्मसी-387) झाँसी।

एक माह का अधिक का समय उपलब्ध होने के उपरान्त भी संस्थान द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ अपूर्ण संलग्नक/सूचना अपलोड की गयी। समिति के पत्रांक संख्या-125/प्र0फी0नि0स0/शु0नि0/2018 दिनांक 21.07.2018 द्वारा सभी संलग्नकों/प्रपत्रों सहित दिनांक 26.07.2018 को पुनः सुनवाई का अवसर दिया गया, परन्तु संस्थान द्वारा दिये गये अवसर पर भी अभिलेख उपलब्ध न कराने पर समिति के निर्णयानुसार प्रवेश और फीस नियमन समिति द्वारा निर्धारित मानक शुल्क अनुमन्य।

अधिनियम-2006 की धारा-14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या-4781/सोलह-1-2015-14(34)/2015 दिनांक 22.12.2015 द्वारा उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओं में (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विनियमावली-2015 निर्गत की गयी है, जिसमें दिये गये प्राविधानुसार निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रमों के शुल्क का निर्धारण किया जाना है।

2. उक्त विनियमावली-2015 के अनुपालन में समिति के आदेश संख्या-64/प्र0फी0नि0स0/2018 दिनांक 19 जून, 2018 द्वारा निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थानों हेतु निम्नवत् मानक शुल्क निर्धारित किया गया है:-

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21
		55000.00
01	बी0टेक0	63300.00
02	बी0फार्मा0	57730.00
03	बी0आर्क0	85250.00
04	बी0एफ0ए0	85250.00
05	बी0एफ0ए0डी0	70000.00
06	बी0एच0एम0सी0टी0	59700.00
07	एम0बी0ए0	55000.00
08	एम0सी0ए0	68750.00
09	एम0फार्मा0	57500.00
10	एम0आर्क0	57500.00
11	एम0टेक0	


3. संस्थान द्वारा विनियमावली-2015 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार संस्थान द्वारा मानक शुल्क से भिन्न शुल्क निर्धारण कराने हेतु आन-लाईन आवेदन किया गया, जो कि अपूर्ण था। तत्क्रम में समिति द्वारा संस्थान को दिनांक 26.07.2018 को सुनवाई को अवसर प्रदान करते हुए आवश्यक अभिलेखों को प्रस्तुत करने का एक और अवसर प्रदान किया गया। संस्थान की ओर से श्री अजय अरावतिया, सी0ए0 ने बैठक में प्रतिभाग किया। संस्थान के प्रतिनिधि द्वारा समिति को अवगत कराया

गया कि संस्थान में बी०फार्मा० पाठ्यक्रम संचालित है। संस्थान के प्रतिनिधि द्वारा सुनवाई के समय शुल्क निर्धारण से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराये जाने में असमर्थता व्यक्त करते हुए एक दिन का अतिरिक्त समय मांगा गया जिस पर समिति द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु संस्थान को पुनः एक अवसर प्रदान किया गया, परन्तु संस्थान द्वारा निर्धारित समय-सीमा तक आवश्यक/महत्वपूर्ण अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। तत्पश्चात् समिति द्वारा विचार-विमर्श किया कि संस्थान द्वारा अभिलेख उपलब्ध न कराने एवं शुल्क निर्धारण में कोई रुचि न लेने के दृष्टिगत संस्थान पर समिति द्वारा निर्धारित मानक शुल्क ही अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया।

4. उपरोक्त निर्धारित मानक शुल्क शैक्षिक सत्र 2018-19 से आगामी दो वर्षों (कुल तीन वर्ष) के लिए लागू होगा। निर्धारित शुल्क में छात्रावास शुल्क, परीक्षा शुल्क एवं जमानत की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित है। यह शिक्षण शुल्क सत्र 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में प्रवेशित छात्रों से लिया जाना होगा। पूर्व से प्रवेशित छात्र-छात्रों से इनके प्रवेश के वर्ष में निर्धारित शिक्षण शुल्क ही लिया जाना प्रभावी रहेगा।

5. समिति द्वारा निर्धारित शुल्क की सूचना समिति की अधिकृत वेब-साइट [www.afrcup2018.in](http://www.afrcup2018.in) पर प्रदर्शित है तथा संस्था द्वारा भी इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित शुल्क की सूचना अपनी अधिकृत वेब-साइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।


6. उ०प्र० निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 की धारा-4 के अन्तर्गत गठित समिति के किसी आदेश के विरुद्ध अपील के निस्तारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 11(1) के अन्तर्गत मा० उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में अपील प्राधिकरण का गठन आदेश संख्या-3393/सोलह-1-2009-5 (डब्लू-48)/2003 दिनांक 14.10.2009 द्वारा किया जा चुका है।

  
(एफ०आर० खान)  
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक/प्राचार्य, एस०आर० ग्रुप आफ इन्स्टीट्यूशन्स (कालेज ऑफ फार्मसी) झाँसी।
2. कुल सचिव, डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. अनुसचिव, प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से  
  
(एफ०आर० खान)  
सचिव